भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 624**

उत्तर देने की तारीख 17.09.2020

**जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं**

624 # श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित विभिन्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति, आवास इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपर्युक्त कार्यक्रमों हेतु निधि आवंटित और जारी की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जनजातीय कार्य मंत्री**
**(श्रीअर्जुन मुंडा)**

(क) से (घ) : जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) (जिसे अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) भी कहा जाता है) बिहार सहित पूरे देश में जनजातीय विकास के लिए निधि का समर्पित स्रोत है। जनजातीय विकास के लिए 41 केंद्रीय मंत्रालयों को नीति आयोग द्वारा प्रति वर्ष जनजातीय उपयोजना निधियों को उनके कुल योजना आवंटन के 4.3 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत की सीमा में रखने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में टीएसपी निधियों को निर्धारित करना अधिदेशित है। देश में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, टीएसपी/एसटीसी के तहत संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। ये योजनाएं ग्रामीण विकास , आवास, पेयजलऔर स्वच्छता, पोषण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2020-21 के दौरान इन कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकारों को निधि निर्मुक्त करने की स्थिति के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए केंद्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित निधि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

**अनुलग्नक**

**दिनांक 17.09.2020 की राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 624 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुलगनक**

वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 के दौरान केंद्रीय अनुसूचित जाति / विभागों की योजनाओं के तहत उनके अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के तहत राज्य सरकारों को आवंटित और जारी किए गए धन का विवरण

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | कृषि विस्तार | 32.71 | 0.92 |
| 3 | जंतु विज्ञान | 14.19 | 0.83 |
| 4 | फसल विज्ञान | 21.00 | 1.20 |
| 5 | मत्स्य विज्ञान | 6.71 | 0.28 |
| 6 | बागवानी विज्ञान | 8.34 | 0.44 |
| 7 | कृषि वानिकी अनुसंधान सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान | 8.38 | 0.42 |
| | कुल | **118.65** | **5.23** |

कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | कृषि विपणन: कृषि विपणन पर एकीकृत योजना | 21.00 | 0.13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | फसल बीमा योजना: प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना | 1372.56 | 998.00 |
| 3 | कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों को दलहन का वितरण | 68.80 | 0.00 |
| 4 | सूचान प्रौद्योगिकी | 1.94 | 0.00 |
| 5 | कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना | 34.40 | 5.16 |
| 6 | किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी | 1557.55 | 0.00 |
| 7 | बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (MIS-PSS) | 172.00 | 0.00 |
| 8 | राष्ट्रीय बांस मिशन | 37.00 | 7.38 |
| 9 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | 218.92 | 78.87 |
| 10 | बागवानी पर राष्ट्रीय मिशन | 244.20 | 43.55 |
| 11 | कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना- वानिकी | 5.74 | 3.42 |
| 12 | मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना | 27.24 | 6.26 |
| 13 | उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास | 63.01 | 28.03 |
| 14 | परम्परागत कृषि विकास योजना | 47.30 | 10.77 |
| 15 | प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संवर्धन योजना (प्रधानमंत्री-आषा) | 43.00 | 0.00 |
| 16 | प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना | 18.92 | 0.00 |
| 17 | प्रधानमंत्री किसान निधि (पीएम-किसान) | 6598.67 | 3615.10 |
| 18 | प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY) - प्रति बूंद अधिक फसल | 344.00 | 100.20 |
| 19 | रेनफेड एरिया डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज | 25.20 | 12.36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | 312.40 | 32.76 |
| 21 | उप मिशन कृषि विस्तार पर | 126.20 | 63.96 |
| 22 | कृषि यांत्रिकीकरण पर मिशन | 133.60 | 80.88 |
| 23 | उप-मिशन पर बीज और रोपण सामग्री | 34.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **11,507.65** | **5,086.83** |

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | पशुपालन अवसंरचना विकास निधि | 12.92 | 0.00 |
| 2 | डेयरी उद्यमिता विकास | 0.01 | 0.00 |
| 3 | डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष | 5.16 | 0.00 |
| 4 | पशुधन की जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण | 0.00 | 0.00 |
| 5 | पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण | 36.05 | 4.84 |
| 6 | फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम | 106.65 | 0.00 |
| 7 | राष्ट्रीय डेयरी योजना (ईएपी) | 0.00 | 0.00 |
| 8 | राष्ट्रीय पशुधन मिशन | 48.70 | 15.23 |
| 9 | डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम | 25.80 | 0.00 |
| 10 | राष्ट्रीय गोकुल मिशन | 27.00 | 20.99 |
| 11 | डेयरी गतिविधियों में लगे डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन करना (राज्य | 8.60 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सहकारी डेयरी फेडरेशनों को पूर्ववर्ती सहायता) | | |
| | **कुल** | **270.89** | **41.06** |

वाणिज्य विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | कॉफी बोर्ड | 12.09 | 0.56 |
| 2 | समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण | 1.99 | 0.50 |
| 3 | रबर बोर्ड | 4.30 | 0.92 |
| 4 | मसाला बोर्ड | 3.50 | 0.84 |
| 5 | टी बोर्ड | 3.12 | 1.14 |
| | **कुल** | **25.00** | **3.96** |

उपभोक्ता मामलों का विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन और प्रचार) | 2.58 | 0.00 |

विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता / सहायता और आवेदन की फिटिंग | 19.78 | 32.83 |
| 2 | दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना | 11.18 | 0.67 |
| 3 | भारतीय स्पाइनल चोट केंद्र | 0.34 | 0.00 |
| 4 | विकलांगता अधिनियम के साथ व्यक्तियों के कार्यान्वयन के लिए योजना | 21.57 | 0.00 |
| 5 | विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति | 7.69 | 0.53 |
| 6 | राष्ट्रीय संस्थानों को समर्थन | 8.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **68.56** | **34.03** |

मत्स्य पालन विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड | 0.60 | 0.60 |
| 2 | मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन | 45.40 | 19.11 |
| 3 | राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड | 7.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **53.00** | **19.71** |

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | पीडीएस संचालन का सुदृढ़ीकरण | 0.00 | 0.00 |

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) | 689.55 | 77.75 |
| 2 | स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन | 505.62 | 270.33 |
| 3 | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | 2955.04 | 1393.23 |
| 4 | राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (राष्ट्रीय निवेश कोष से सहायता) | 81.30 | 25.26 |
| 5 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) - सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता | 4.04 | 0.00 |
| 6 | स्टेट ड्रग रेग्युलेटरी सिस्टम को मजबूत करना | 18.88 | 0.00 |
| 7 | तृतीयक देखभाल कार्यक्रम | 45.57 | 17.07 |
| | **कुल** | **4,300.00** | **1,783.64** |

उच्चतर शिक्षा विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) | 10.00 | 2.00 |
| 2 | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय | 2.00 | 0.00 |
| 3 | अन्य संस्थानों को सहायता | 14.65 | 0.52 |
| 4 | बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और | 0.50 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कानपुर | | |
| 5 | केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश | 2.00 | 0.00 |
| 6 | वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग | 0.35 | 0.00 |
| 7 | केंद्र सरकार द्वारा पदोन्नत डीम्ड विश्वविद्यालय | 11.00 | 8.93 |
| 8 | हिंदी निदेशालय | 1.50 | 0.00 |
| 9 | शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश कार्यक्रम (EQUIP) | 172.00 | 0.00 |
| 10 | ई षोध सिंधु | 20.00 | 0.00 |
| 11 | ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क (GIAN) | 1.25 | 0.00 |
| 12 | केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को अनुदान | 245.00 | 144.53 |
| 13 | मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों / संस्थानों को अनुदान | 8.50 | 1.00 |
| 14 | भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को अनुदान | 13.00 | 3.76 |
| 15 | IIT, हैदराबाद (EAP) | 4.50 | 3.75 |
| 16 | इंप्लेंट रिसर्च इनिशिएटिव (इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कार्यान्वयन) | 4.00 | 0.00 |
| 17 | विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार | 171.00 | 28.77 |
| 18 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) | 5.50 | 2.24 |
| 19 | गारंटी फंड के लिए ब्याज सब्सिडी और योगदान | 133.00 | 0.00 |
| 20 | राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी | 1.00 | 0.00 |
| 21 | नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी | 1.50 | 0.32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | नेशनल इनोवेटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन | 3.00 | 0.15 |
| 23 | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई | 2.00 | 0.25 |
| 24 | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (NITTTRs) | 5.00 | 3.62 |
| 25 | राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क | 0.15 | 0.00 |
| 26 | आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन | 7.30 | 0.00 |
| 27 | पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक और शिक्षण पर राष्ट्रीय मिशन | 4.30 | 0.52 |
| 28 | पीएम रिसर्च फेलोशिप | 4.30 | 1.74 |
| 29 | प्रधान मंत्री बालिका छात्रावास | 1.00 | 0.00 |
| 30 | अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम | 15.50 | 0.00 |
| 31 | राष्ट्रीय अभियान शिक्षा अभियान (RUSA) | 25.00 | 4.18 |
| 32 | शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना (स्पार्क) | 3.50 | 0.00 |
| 33 | विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान के लिए योजना (STARS) | 4.30 | 0.35 |
| 34 | कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति | 8.00 | 0.04 |
| 35 | योजना और वास्तुकला के स्कूल (एसपीए) | 8.50 | 2.30 |
| 36 | पीपीपी मोड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना | 5.00 | 2.46 |
| 37 | आभासी कक्षाओं की स्थापना और बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) | 6.50 | 3.28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना | 12.00 | 5.00 |
| 39 | उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव | 8.60 | 2.34 |
| 40 | भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) को सहायता | 18.00 | 14.65 |
| 41 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को समर्थन | 8.00 | 5.73 |
| 42 | विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान के भारतीय संस्थान (आईआईएसईआर) को समर्थन | 30.00 | 23.52 |
| 43 | भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) को सहायता | 15.00 | 4.33 |
| 44 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता | 215.00 | 70.86 |
| 45 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NIT) और IIEST को सहायता | 142.00 | 37.58 |
| 46 | भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (EAP) | 70.00 | 17.92 |
| 47 | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) | 150.00 | 110.87 |
| 48 | उन्नात भारत अभियान | 2.80 | 0.00 |
| 49 | विश्व स्तर के संस्थान | 43.00 | 13.54 |
| | **कुल** | **1,640.00** | **521.05** |

भूमि संसाधन विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम (कार्यक्रम घटक) | 200.01 | 17.51 |
| 2 | भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम | 23.86 | 12.65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **कुल** | **223.87** | **30.16** |

फार्मास्यूटिकल्स विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | जन औषधी योजना | 0.00 | 1.49 |
| 2 | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (निपर्स) | 0.00 | 8.50 |
| | **कुल** | **0.00** | **9.99** |

ग्रामीण विकास विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (कार्यक्रम घटक) | 1613.00 | 736.53 |
| 2 | प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) - ग्रामीण (कार्यक्रम घटक) | 3413.00 | 3235.58 |
| | **कुल** | **5,026.00** | **3,972.11** |

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) | 70.00 | 25.16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम | 42.00 | 0.00 |
| 3 | स्कूलों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम | 1210.00 | 396.76 |
| 4 | माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़की के लिए प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना | 22.00 | 0.00 |
| 5 | नवोदय विद्यालय समिति (NVS) | 200.00 | 66.98 |
| 6 | समग्र शिक्षा | 4280.00 | 1122.52 |
| 7 | शिक्षक प्रशिक्षण और वयस्क शिक्षा | 20.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **5,844.00** | **1,611.42** |

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती | 117.69 | 6.99 |
| 2 | विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड | 10.00 | 6.50 |
| 3 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण | 10.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **137.69** | **13.49** |

दूरसंचार विभाग

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | स्कीम का नाम | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत नेट | 258.00 | 0.00 |
| 2 | टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र (सी-डोट) | 13.89 | 0.00 |
| 3 | दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा | 86.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **357.89** | **0.00** |

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | स्कीम का नाम | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीइपी) | 50.00 | 0.00 |
| 2 | भूजल प्रबंधन और विनियमन (भूजल प्रबंधन और विनियमन) | 12.00 | 2.42 |
| 3 | हर खेत को पानी | 205.00 | 42.52 |
| 4 | एचआरडी / क्षमता निर्माण कार्यक्रम | 0.63 | 0.00 |
| 5 | राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-अन्य बेसिन (कार्यक्रम घटक) | 12.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **279.63** | **44.94** |

आयूष मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | आयुर्वेदिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद | 7.20 | 1.80 |
| 2 | यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद | 1.00 | 0.50 |
| 3 | राष्ट्रीय आयुष मिसाइल (नाम) | 29.00 | 2.58 |
| 4 | अन्य स्वायत्त निकाय | 0.50 | 0.25 |
| | **कुल** | **37.70** | **5.13** |

कोयला मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास | 8.17 | 0.00 |
| 2 | कोयला और लिग्नाइट की खोज | 60.20 | 0.00 |
| 3 | अनुसंधान और विकास | 2.15 | 0.00 |
| | **कुल** | **70.52** | **0.00** |

संस्कृति मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | शताब्दी और वर्षगांठ, समारोह और योजनाएँ | 7.65 | 0.00 |
| 2 | पुस्तकालयों और अभिलेखागार का विकास | 0.01 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | ग्रंथी निकाय | 0.00 | 0.00 |
| 4 | कला संस्कृति विकास योजना | 16.74 | 3.64 |
| 5 | पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन | 0.46 | 0.00 |
| | **कुल** | **24.86** | **3.64** |

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद | 5.00 | 0.00 |
| 2 | उत्तर पूर्व और सिक्किम के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल | 143.92 | 65.72 |
| 3 | दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद | 25.00 | 0.00 |
| 4 | कार्बीअंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद | 40.00 | 0.00 |
| 5 | उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS) | 250.00 | 141.30 |
| 6 | नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (NESIDS) हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम | 54.00 | 0.00 |
| 7 | NEC -Capital की योजनाएँ | 5.00 | 0.00 |
| 8 | एनईसी-राजस्व की योजनाएं | 170.00 | 0.00 |
| 9 | उत्तर पूर्व परिषद की योजनाएँ - विशेष विकास परियोजनाएँ | 130.00 | 101.93 |
| | **कुल** | **822.92** | **308.95** |

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन | 1150.00 | 340.44 |
| 2 | एसबीएम | 999.41 | 230.74 |
| | **कुल** | **2,149.41** | **571.18** |

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी और अन्य) | 8.00 | 0.00 |
| 2 | इलेक्ट्रॉनिक शासन (कार्यक्रम घटक) | 30.00 | 7.74 |
| 3 | जनशक्ति विकास | 30.00 | 1.03 |
| 4 | राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क | 30.00 | 0.00 |
| 5 | प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान अभियान (PMGDISHA) | 25.19 | 10.00 |
| 6 | डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना | 10.00 | 0.00 |
| 7 | इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी एचडब्ल्यू विनिर्माण (MSIPS, EDF और विनिर्माण समूहों) का प्रचार | 66.00 | 0.00 |
| 8 | आईटी / आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देना | 10.00 | 0.00 |
| 9 | आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स / सीसीबीटी में आर और डी | 56.00 | 0.17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **कुल** | **265.19** | **18.94** |

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण (NCEF से प्राप्त) - जैव विविधता संरक्षण | 4.00 | 2.41 |
| 2 | प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण (NCEF से प्राप्त) - जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण | 5.00 | 0.00 |
| 3 | पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) | 5.00 | 0.00 |
| 4 | पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण | 10.00 | 4.69 |
| 5 | वन अग्नि निवारण और प्रबंधन | 6.00 | 0.00 |
| 6 | वाइल्डलाइफ हैबिटैट्स का एकीकृत विकास (एनसीईएफ से वित्तपोषित) -विदेशी वन्यजीवों का विकास | 18.00 | 4.84 |
| 7 | वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (एनसीईएफ से वित्तपोषित) -प्रत्येक हाथी | 4.00 | 1.08 |
| 8 | वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (एनसीईएफ से वित्तपोषित) | 35.00 | 26.55 |
| 9 | राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NCEF से वित्त पोषित) | 8.00 | 6.46 |
| 10 | राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण | 1.00 | 0.15 |
| 11 | राष्ट्रीय तटीय मिशन (NCM) - कार्यक्रम घटक | 1.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनसीईएफ से वित्तपोषित) -ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम | 30.00 | 13.19 |
| | **कुल** | **127.00** | **59.37** |

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | Pradhan Mantri KisanSampada Yojana | 46.50 | 0.10 |

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र घटक | 34.03 | 14.51 |
| 2 | PMAY-Urban (राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य आइटम) | 130.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **164.03** | **14.51** |

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | असंगठित मजदूरों के लिए बीमा योजना | 17.45 | 0.00 |
| 2 | एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन | 4.20 | 0.35 |
| 3 | असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय मंच का निर्माण और आधार सीडेड पहचान संख्या का आवंटन | 4.30 | 0.00 |
| 4 | कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 | 641.30 | 19.24 |
| 5 | श्रम और रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली (LESS) | 1.00 | 0.02 |
| 6 | श्रमिक कल्याण योजना | 12.90 | 0.00 |
| 7 | राष्ट्रीय कैरियर सेवा | 6.63 | 4.29 |
| 8 | राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिसमें स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ मजदूरी को सहायता की प्रतिपूर्ति शामिल है | 9.99 | 0.49 |
| 9 | प्रधान मंत्री करम योगी मन्थन | 15.50 | 0.00 |
| 10 | प्रधान मंत्री रोज़गारप्रशासन योजना | 218.36 | 327.10 |
| 11 | प्रधानमन्त्री श्रम योगी मण्डन | 43.00 | 21.00 |
| 12 | असम में वृक्षारोपण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा | 3.32 | 0.00 |
| | **कुल** | **977.95** | **372.49** |

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | ASPIRE (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमशीलता को | 4.30 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | बढ़ावा देना) | | |
| 2 | कॉयर विकास योजना | 3.19 | 1.23 |
| 3 | क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम | 2.80 | 0.00 |
| 4 | डेटाबेस अनुसंधान मूल्यांकन और अन्य कार्यालय सहायता कार्यक्रम | 0.10 | 0.00 |
| 5 | निधियों का कोष | 25.00 | 0.00 |
| 6 | ग्रामोद्योग विकास योजना | 16.92 | 0.00 |
| 7 | अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण | 25.00 | 4.30 |
| 8 | बुनियादी ढांचा विकास और क्षमता निर्माण-ईएपी घटक | 18.89 | 3.03 |
| 9 | एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन स्कीम | 65.00 | 65.00 |
| 10 | अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना | 1.63 | 0.00 |
| 11 | खादी विकास योजना | 25.00 | 16.00 |
| 12 | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हब केंद्र | 25.00 | 10.00 |
| 13 | प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) | 355.00 | 40.00 |
| 14 | खरीद और विपणन सहायता योजना | 5.72 | 0.00 |
| 15 | प्रचार सेवा संस्थान और कार्यक्रम | 6.50 | 0.28 |
| 16 | पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की योजना (SFURTI) | 44.08 | 3.35 |
| 17 | सौर चरखा मिशन | 10.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **634.13** | **143.19** |

खनन मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण | 22.00 | 3.05 |
| 2 | भारतीय खान ब्यूरो | 1.23 | 0.00 |
| | **कुल** | **23.23** | **3.05** |

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | बायोगैस कार्यक्रम | 10.00 | 1.50 |
| 2 | ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर | 25.00 | 2.98 |
| 3 | मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण | 3.00 | 0.00 |
| 4 | किसनरुजा सुरक्षा ईवाँ उत्तरमहाभियान (कुसुम) | 50.00 | 7.49 |
| 5 | किसनरुजा सुरक्षा ईवाँ उत्थानमहानियाँ-ऑफ ग्रिड (कुसुम) | 25.00 | 4.01 |
| 6 | छोटा हाइड्रो पावर | 30.00 | 0.56 |
| 7 | सौर ऊर्जा | 143.00 | 0.00 |
| 8 | पवन ऊर्जा | 200.00 | 92.00 |
| | **कुल** | **486.00** | **108.54** |

पंचायती राज मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) | 74.62 | 13.81 |

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण- केरोसिन | 1.77 | 0.00 |
| 2 | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - एलपीजी | 1631.23 | 0.00 |
| 3 | गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन | 48.07 | 0.00 |
| 4 | उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए देय अन्य सब्सिडी | 22.86 | 0.00 |
| 5 | अंडर-रिकवरी (अन्य सब्सिडी देय) | 136.57 | 0.00 |
| | **कुल** | **1,840.50** | **0.00** |

ऊर्जा मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना | 387.00 | 226.96 |
| 2 | एकीकृत बिजली विकास योजना | 470.00 | 55.89 |
| | **कुल** | **857.00** | **282.85** |

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | सड़क निर्माण (सड़क विंग के तहत काम करता है) | 2920.00 | 57.76 |

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | अप्रेंटिसशिप और प्रशिक्षण | 5.66 | 1.59 |
| 2 | उद्यमिता का विकास | 3.02 | 0.00 |
| 3 | कौशल का विकास | 121.73 | 6.86 |
| 4 | आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता | 39.50 | 0.00 |
| 5 | औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण | 30.96 | 0.00 |
| 6 | संस्थागत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना | 7.40 | 0.06 |
| 7 | कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण | 1.38 | 0.04 |
| | **कुल** | **209.65** | **8.55** |

वस्त्र मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | अम्बेडकर हस्तशिल्पी विकास योजना | 1.00 | 0.00 |
| 2 | केंद्रीय रेशम बोर्ड | 88.00 | 44.00 |
| 3 | डिजाइन और तकनीकी उन्नयन योजना | 2.00 | 0.58 |
| 4 | हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना | 1.00 | 0.00 |
| 5 | हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (HWCWS) | 1.00 | 0.00 |
| 6 | मानव संसाधन विकास- हस्तशिल्प | 2.00 | 0.18 |
| 7 | कौशल विकास के लिए एकीकृत योजना | 12.00 | 1.12 |
| 8 | एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम | 8.00 | 2.00 |
| 9 | विपणन सहायता और सेवाएँ | 1.00 | 0.00 |
| 10 | राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम | 42.00 | 11.16 |
| 11 | एनईआर टेक्सटाइल्स प्रमोशन स्कीम | 27.55 | 0.00 |
| 12 | अनुसंधान और विकास - हस्तशिल्प | 3.00 | 0.20 |
| 13 | उत्तर पूर्व में भू टेक्सटाइल के उपयोग के लिए योजना | 2.00 | 0.00 |
| 14 | यार्न आपूर्ति योजना | 32.00 | 7.16 |
| | **कुल** | **222.55** | **66.40** |

पर्यटन मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन) | 102.00 | 22.38 |

महिला और बाल विकास मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | आंगनवाड़ी सेवाएं (शीघ्र कोर ICDS) | 2308.85 | 720.10 |
| 2 | महिला शक्ति केंद्र | 8.60 | 0.00 |
| 3 | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | 215.00 | 15.58 |
| 4 | किशोरियों के लिए योजना | 23.50 | 0.00 |
| | **कुल** | **2,555.95** | **735.68** |

युवा मामले और खेल मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सहायता (राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता) | 21.50 | 0.00 |
| 2 | खेलो इंडिया | 76.57 | 11.54 |
| 3 | लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन | 4.80 | 1.31 |
| 4 | युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (कार्यक्रम घटक) | 1.98 | 0.46 |
| 5 | राष्ट्रीय सेवा योजना | 14.84 | 0.26 |
| 6 | राष्ट्रीय युवा नेताओं का कार्यक्रम | 1.89 | 0.00 |
| 7 | राष्ट्रीय युवा वाहिनी | 7.75 | 1.60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | नेहरू युवा केंद्र संगठन | 26.00 | 0.00 |
| 9 | राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान | 3.02 | 0.45 |
| 10 | भारतीय खेल प्राधिकरण | 43.00 | 15.32 |
| | **कुल** | **201.35** | **30.94** |

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

| **क्र.सं.** | **स्कीम का नाम** | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता | 110.00 | 4.05 |
| 2 | विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास PVTGs) | 250.00 | 18.27 |
| 3 | जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी) | 0.01 | 0.00 |
| 4 | एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) | 1313.23 | 599.55 |
| 5 | संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के दूसरे प्रावधान के खंड ए के तहत असम सरकार को अनुदान | 0.01 | 0.00 |
| 6 | संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनंतिम अनुदान | 1350.00 | 256.71 |
| 7 | जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन (ट्राइफेड आदि) | 140.00 | 40.00 |
| 8 | लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी) | 152.51 | 20.30 |
| 9 | जाचना और परखना | 4.00 | 0.53 |
| 10 | एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और | 100.00 | 51.29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | छात्रवृत्ति | | |
| 11 | पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | 1900.00 | 940.89 |
| 12 | प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 400.00 | 149.35 |
| 13 | स्टडीज एब्रोइड के लिए एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति | 2.00 | 1.87 |
| 14 | आदिवासी उप-योजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता | 1350.00 | 30.39 |
| 15 | राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता | 150.00 | 0.00 |
| 16 | जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता | 110.00 | 10.48 |
| 17 | जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान, सूचना और जन शिक्षा | 24.00 | 2.36 |
| | **कुल** | **7,355.76** | **2,126.04** |